>

Title: Need to include 'Rajasthani language in the Eight schedule of the constitution.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थानी भाषा की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं अनुसूचि में शामिल किया जाए।...(व्यवधान)

महोदया, राजस्थानी भाषा राजस्थान के 10 करोड़ से भी अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन आज तक वह अपना अस्तित्व तलाश रही है। ...(व्यवधान) 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा में संकल्प प्रस्ताव पारित होने के बाद, वह केन्द्र सरकार को भेजा गया था, परन्तु अभी तक उस पर कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हुई है।...(व्यवधान) राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से प्रदेश के प्रत्येक जिले में जनता को शिक्षा और रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, यह मांग सबसे पहले वर्ष 1936 में उठी थी, लेकिन राज्य की विधान सभा में इस भाषा पर वर्ष 2003 में एक राय बन पाई, जिसकी वजह से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री हरिओम सिंह राठौड़, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री देवजी एम. पटेल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री निहाल चन्द द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Now, Shri A.P. Jithender Reddy.

... (*Interruptions*)